न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 73/2019
अन्तर्गत धारा 53 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री पृथ्वी राज जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. गोविन्दम सेवा सोसायटी, सादुलशहर जरिये सचिव कृष्ण लाल पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 1, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

.......वादीगण

बनाम

1. धनपत राम पुत्र श्री रावता राम जाति नायक निवासी 17 एम एल तहसील जिला श्रीगंगानगर
2. घनश्याम पुत्र श्री रावता राम जाति नायक निवासी 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. रिछपाल पुत्र श्री पूर्ण सिंह निवासी 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. परमजीत सिंह पुत्र श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. सर्वजीत सिंह पुत्र श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

–:: उपस्थिति अभिभाषक ::–

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (वादी–1 व 2)
अधिवक्ता श्री मदन यादव (प्रतिवादी–1 व 2)
प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
पैरोकार राज (प्रति.–6)

दिनांक 05.01.2021

– निर्णय –

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण का पेशा खेती हैक. चक 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का जमाबन्दी सम्बत 2066–2071 के अनुसार खाता संख्या 59/80 के मुरब्बा नम्बर 1 की 0.556 हैक. नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 2 की 2.910 हैक. नहरी मय खाला कुल 3.466 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा बुधराम पुत्र श्री कालू राम सा0 3 वाई के नाम से दर्ज कागजात माल है। श्री बुधराम पुत्र श्री कालू राम ने खाता विभाजन करवाकर जरिये इन्तकाल संख्या 613 दिनांक 01.11.2011 (आदेश) अपने नाम से किलावाईज मुरब्बा नम्बर 1 का किला नम्बर 15 की 0.057 है0, मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 11 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13 की 0.113 है0 = 0.619 है0 कुल 0.676 हैक. भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली हैक. चूंकि श्री बुधराम संयुक्त खातेदार नहीं रहा है, इसलिए उसे इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैक. यह कि वर्तमान में चक 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का जमाबन्दी सम्बत 2066–2071 के अनुसार खाता संख्या 59/80 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 15 की 0.019 है0, 16 की 0.202 है0, 24/1 की 0.047 है0, 25/1 की 0.231 है0 = 0.499 हैक. नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 की 0.063 है0, 2 व 9 की 0.506 है0, 10 की 0.190 है0, 13/1 की 0.014 है0, 18 से 23 की 1.518 है0 = 2.291 हैक. नहरी मय खाला वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कागजात माल हैक. उक्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है तथा संयुक्त खाता में वादी संख्या 1 के नाम से 0.3496 है0, वादी संख्या 2 के नाम से 0.980 है0,

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 0.350 है0, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 0.3504 है0, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से 0.016 है0, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 दोनों के नाम से 0.743 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल हैक. नकल जमाबन्दी संलग्न हैक. यह कि वादी संख्या 01 ने उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के भाई बाबू राम से व वादी सं 2 ने उक्त भूमि सुनील कुमार वगैरा से खरीद की हुई है तथा सुनील कुमार वगैरा ने उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के भाई बाबू राम से खरीद की थी। उक्त भूमि के पूर्व स्वामियों के मध्य काफी समय पूर्व उक्त भूमि का घरू मौखिक बंटवारा हो गया था। चूंकि भूमि संयुक्त खातेदारी थी, इसलिए रजिस्टरी बैयनामा किलावाईज नहीं हो सका, इसलिए उक्त भूमि के पूर्व स्वामियों द्वारा अपने कब्जा काश्त व घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा निम्न प्रकार से संभलवा दिया था। वादी संख्या 1 कृष्ण लाल को मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 22 में से 0.0964 हैक्टेयर व किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.3496 हैक.। वादी संख्या 2 गोविन्दम सेवा सोसायटी को मु0 न0 1 का कि0 न0 15 की 0.019 है0, कि0 न0 16 की 0.202 है0 = 0.221 है0 व मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 18, 19 व 20 की 0.759 हैक्टेयर कुल 0.980 है0 भूमि । वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि को शांतिपूर्वक काश्त कर रहा है तथा वादी संख्या 1 कृष्ण लाल के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 22 में से 0.0964 हैक्टेयर व किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0. 3496 है0 व वादी संख्या 2 गोविन्दम सेवा सोसायटी के कब्जा काश्त में मुरब्बा न0 1 के कि0 न0 15 की 0.019 है0, कि0 न0 16 की 0.202 है0 = 0.221 है0 व मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 18, 19 व 20 की 0.759 हैक्टेयर कुल 0.980 हैक. भूमि चली आ रही हैक. इस भूमि में मौका पर वादीगण की फसले खड़ी हैक.। शेष भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही हैक. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा भी वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें। इस विश्वास पर वादीगण ने उक्त रकबा में काफी धन राशि खर्च करके व भारी मेहनत करके सुधार कार्य करवाये है तथा उक्त रकबा काफी उपजाउ व कीमती बन चुका हैक. यह कि वादीगण सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठाना चाहते है, मगर उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वादीगणउक्त भूमि का बंटवारा कब्जानुसार करवा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी हैक.। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह सहमति से खाता विभाजन करवाकर वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, मगर अब दिनांक 10.06.2019 को उन्होने सहमति से बंटवारा करवाने से इनकार कर दिया हैक. यही वाद कारण हैक. यह कि प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह संयुक्त खाता की भूमि का बिना विभाजन करवाए तथा वादीगण के कब्जा व काश्त की भूमि में जबरन हस्तक्षेप कर, अच्छी अच्छी भूमि विक्रय करने पर आमादा हैक., यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 उक्त आराजी को बिना विभजन के विक्रय/मुन्तकिल करने में सफल हो गये तो वाद की बाहुल्यता बढेगी तथा वादीगण बिना वजह मुकदमाबाजी में फंस जायेगें। इसलिए वादीगण इस अमर की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 विवादग्रस्त भूमि को ताफैसला वाद रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तातंरण करने से निषिद्ध रहे तथा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा में जबरन हस्तक्षेप करने व किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषिद्ध रहे। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:

(1) यह कि वादी सं0 1 कृष्ण लाल को मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 22 में से 0.0964 हैक्टेयर व किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.3496 है0 का व वादी संख्या 2 गोविन्दम सेवा सोसायटी को मु0 न0 1 का कि0 न0 15 की 0.019 है0, कि0 नं0 16 की 0.202 है0= 0.221 है0 व मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 18, 19 व 20 की 0.759 हैक. कुल 0.980 हैक. भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, उक्त भूमि किलावाईज वादीगण के नाम से उक्तानुसार दर्ज करवाई जावे तथा अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावे।

(2) यह कि वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वह वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा में किसी प्रकार का

Scanned with CamScanner

मदाखलत बेजा ना करे तथा विवादग्रस्त भूमि को ताफैसला दावा किसी प्रकार से रहन, बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने से निषिद्ध रहे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को जारी समन पर तामीनय विधिवत होने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब दावा हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 17.02.2020 को बंद किया गया। स्टेट जवाब पेश किया गया।

बहस वकील सुनी जाकर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदा(राजस्व), श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक भू.अ./2020/4194 दिनांक 03.12.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत निवदेन किया गया एवम् लिखित अनापत्ति जाहिर की गई।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	रकबा का विवरण
1	कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल सा. वार्ड नं. 1 सादुलशहर	चक 17 एमएल मुरब्बा नम्बर 2 किला नं. 23/1(0.228नहरी), 23/2(0.025खाला) 22/1(0.075 नहरी), 22/2(0.008 खाला), 18(0.014) नहरी दक्षिण कुल 0.350 हैक नहरी मय खाला
2	गोविन्दम सेवा सोसायटी सादुलशहर जरिए सचिव कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल सा. वार्ड नं. 1 सादुलशहर	चक 17 एमएल मुरब्बा नम्बर 1 किला नम्बर 15/1(0.019), 16(0.202), मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 13/3(0.014), किला नं. 19(0.253), 20(0.253), 18(0.239)उत्तर कुल 0.980 हैक. नहरी
3	घनश्याम पुत्र रावता राम 0.350 हैक्टर हिस्सा निवासी 3 वाई रहन-यूको बैंक शाखा हिरनवाली, धनपत राम पुत्र रावताराम हिस्सा 0.351 हैक्टर जाति नायक, परमजीत हिस पुत्र गुरलाल सिंह 0.371 हैक्टर हिस्सा जटसिख निवासी 2 ई छोटी, रिछपाल सिंह पुत्र पूर्णसिंह 0.016हैक्टर जाति जटसिख निवासी 2 ई दोटी, सर्वजीतसिंह पुत्र गुरलाल सिंह 0.372 हैक्टर हिस्सा जाति जटसिख रहन-एस.एस.बी.जे. (ए.डी.बी) शाखा श्रीगंगानगर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5	चक 17 एमएल मु.नं0.1 किला नं. 24/1 (0.013), 24/3(0.034), 25/1(0.025), 25/3(0.206), मु.नं. 2 किला नं. 1(0.063), 2(0.253), 9(0.253), 10(0.190), 21/1(0.228), 21/2(0.025), 22/1(0.153)पश्चिमी, 22/2(0.017)पश्चिमी कुल 1.460 हैक्टर नहरी मय खाला

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे एवम् उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक **05.01.2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर (राज.)

(उम्मेद सिह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner